कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अयोध्या

पत्र सख्या–7/सी0एफ0ओ0/मेमो/2021 दिनांक– 18/3/22

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
केन्द्रीय विद्यालय
कैन्ट अयोध्या

विषय– केन्द्रीय विद्यालय में फायर आडिट/मॉक ड्रिल किए जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ– आपका पत्रांक– निल, दिनांक– 09.03.2022

कृपया आप अपने पत्र संख्या– निल दिनांक– 09.03.2022 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय कैन्ट अयोध्या का फायर आडिट/मॉक ड्रिल कराये जाने के सम्बन्ध में है। जिसका संज्ञान लेकर उक्त स्थल की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त किया गया, वस्तु स्थिति निम्नवत् है–

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था–

1– केन्द्रीय विद्यालय कैन्ट अयोध्या में 05 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर संतोषजनक दशा में उपलब्ध पाये गये।

2– उक्त विद्यालय द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या–ANA 210003737 दिनांक– 13.03.2022 को रु0–50=00 राजकीय कोष मे जमा करा दियां गया है।

3–विद्यालय के प्रबन्धक/स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों/प्रणलियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है।

वांछित अग्निशमन व्यवस्था–

1– विद्यालय में एन0बी0सी0– 2016 के मानकों के अनुरुप समस्त व्यवस्थाएं 06 माह में व्यवस्थित करनी होगी।

2– माननीय उच्च न्यायालय में योचित रिट सं0– 5696 (एम/बी) 2006 गोमतीनगर जन कल्याण महासमिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 08.09.2006 का पालन आवश्यक होगा।

3– थर्ड पार्टी आडिट कराना अनिवार्य है।

इस प्रकार आपके विद्यालय में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर/सिस्टम की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी। अतः विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर/सिस्टम की कार्यशीलता दिनांक-- 12.03.2023 तक प्रमाणित/नवीनीकरण की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय समय पर इसकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। प्रवेश–निकास सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेगें। एन0बी0सी0–2016 व शासनादेश संख्या– 2030/छः–पु–8–2020–801 (31)/2015 का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन न किए जाने की दशा में निर्गत कार्यशीलता सुरक्षा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

18/3/22
(राजकिशोर राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या

Attest स्वप्रमाणित
17/3/2022

प्राचार्य
Principal
केन्द्रीय विद्यालय फैजाबाद कैन्ट
Kendriya Vidyalaya
Faizabad Cantt